

भारत सरकार/Government of India  
रेल मंत्रालय/Ministry of Railway  
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

सं. 2007/आरएस(जी)/779/3

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण), कोर ।  
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./ लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/ वडोदरा।  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीज़ल आधुनिकीकरण कारखाना/ पटियाला, वर्कशाप परियोजना संगठन/ पटना, कॉफमो/  
नई दिल्ली, रेल पहिया कारखाना/बेला

**विषय:-** निविदा मामलो का समय पर निपटान ।

**संदर्भ:-** (i) बोर्ड का दिनांक 22.08.2007, 28.09.2007, एवं 7.12.2016 का पत्र संख्या 2007/आरएस(जी)779/3  
(ii) बोर्ड का दिनांक 28.04.2008 का पत्र संख्या 2008/ आरएस(जी)779/2

रेलवे बोर्ड ने उक्त संदर्भित विभिन्न पत्रों के तहत निविदाओं को समय पर निपटाने के लिए जोर दिया था । रेल राज्य मंत्री (जी) द्वारा अग्रेषित की गई शिकायत तथा रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के बाद यह पाया गया कि निविदाओं को खोलने के बहुत लंबे समय के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है, जो ठीक नहीं है। इस संदर्भ में, यह दोहराया जाता है कि सभी निविदाओं को मूल वैधता अवधि के भीतर ही अंतिम रूप दिया जाए। चाहिए । इसके लिए रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा वैधता अवधि के भीतर उचित समयसीमा और निगरानी तंत्र तैयार किया जाए । सभी परिस्थितियों में इन समयसीमाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।,  
रेलवे बोर्ड

सं. 2007/आरएस(जी)/779/3

नई दिल्ली, दिनांक 29 .12.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार , सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।
2. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली ।
3. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।  
रेलवे बोर्ड

सं. 2007/आरएस(जी)/779/3

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पीसीएमएम, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, रेल कोच फैक्ट्री/रायबरेली/नईदिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवम आरडब्ल्यूपी/बेला
2. निदेशक-
  - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद।
  - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
  - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
  - घ. वरिष्ठ प्रो. ( सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
  - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
  - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्य पुरी , नई दिल्ली
4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुरुग्राम
5. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
6. कार्यापालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., मानक नगर, लखनऊ।
7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाडिया सर्किल, उदयपुर ।

संतोष मिश्रा

(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

सं. 2007/आरएस(जी)/779/3

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरफ, कमरा नं. 248, तथा एनएफआईआर कमरा नं. 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी, तथा एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

संतोष मिश्रा

(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

भारत सरकार BHARAT SARKAR  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD  
नई दिल्ली New Delhi

No: 2007/RS(G)/779/3

Dated: 29.12.2017

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE  
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara  
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/N. Delhi, RWP/Bela

**Sub:** Timely Settlement of Tender cases.

**Ref:** (i) Board's letter No. 2007/RS(G)/779/3 dated 22.08.2007, 28.09.2007 & 7.12.2016  
(ii) Board's letter No. 2008/RS(G)/779/2 dated 28.04.2008

Railway Board vide various letters referred above had emphasized for timely settlement of tenders. In a complaint forwarded by MSR(G) and investigated by Railway Board Vigilance it has been observed that there is long time gap between opening of the tenders and its finalization, which is not normal. In this context, it is once again re-iterated that all tenders should be finalized within original validity period. Suitable timelines within the validity period and monitoring mechanisms thereof may be devised by Railways/PUs. Strict adherence to such timelines in all circumstances should be ensured.

*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G),  
Railway Board

No No: 2007/RS(G)/779/3

Dated: 29.12.2017

1. PFAs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI(Railways), New Delhi
3. The Directors of Audit, All Indian Railways

*Santosh Mittal*

(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G),  
Railway Board

No: 2007/RS(G)/779/3

Date: 29.12.2017

1. PCMMs, PCEs, CMEs, CEEs, CSTE, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors—
  - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
  - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
  - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
  - d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
  - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
  - f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi

4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
5. Director, Iron & Steel, 3, KoilaGhat Street, Kolkata
6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)  
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I  
Railway Board

**No: 2007/RS(G)/779/3**

**Date: 29.12.2017**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)  
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I  
Railway Board

Copy to: Sr. PPSs / PPS / PS to:

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel), DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, PEDs & Executive Directors of Railway Board